

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268191
SG-DL-E-03122025-268191

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 354
No. 367]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947	[N. C. T. D. No. 354

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सं. 16/2025-राज्य कर

फा0सं0 3(38)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/1156.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2025 (2025 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) दिनांक 19.08.2025 की धारा 1 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2025 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिस तिथि को उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ii) तथा (iii), धारा 3 से 5 और धारा 7 से 15 के प्रावधान लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 1st December, 2025

No. 16/2025-State Tax

F.No. 3 (38)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1156.— In exercise of the powers conferred by sub section (ii) of Section 1 of the Delhi Goods and Services Act, 2025 (Delhi Act No. 6 of 2025) dated 19.08.2025, the Lt. Governor of NCT of Delhi hereby appoints the 1st day of October, 2025, as the date on which the provisions of clauses (ii) and (iii) of section 2, sections 3 to 5 and sections 7 to 15 of the said Act, shall come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy.(Fin.)